I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY

Estd. Under Punjab Technical University Act, 1996
(Punjab Act No. 1 of 1997)

Ref. No. : IKGPTU /Reg./ 317 *Dated : 03/05/2017*

The Principals/Directors

1. **All affiliated Colleges/Institutes of IKGPTU**
2. **All Constituent Campuses of IKGPTU**

Sub: **Masking/Removal of Aadhaar Number from the website in respect of residents/students.**

As per instructions received from Assistant Director General, Unique Identification Authority of India, it is inform you that Adhaar related information at Colleges/Institutes websites in the State of Punjab in respect of residents/students cannot be displayed publicly as per the Aadhaar Act 2016. The copy of the regulation is enclosed for your kind information please.

It is requested that necessary action may be initiated to get the Aadhaar Number Masked/Removed from the website. In case it takes time to get the content removed, the site may be blocked immediately.

This may be taken on top priority under intimation to this Office.

03/5/17
Registrar

Encl: Regulations of Aadhaar Act 2016

A copy of the above is forwarded to the following:

1. Secretary to VC: For kind information of the Vice-Chancellor
2. Dean P & EP: For necessary directions to the concerned please.
3. Dean R&D
4. Finance Officer
5. Director (DDE)
6. Controller of Examinations
7. Director (CD)
8. DR (ITS): For necessary compliance
9. Assistant Director General, Unique Identification Authority of India

I. K. Gujral Punjab Technical University, Jalandhar
Jalandhar Kapurthala Highway, Near Pushpa Gujral Science City, Kapurthala - 144 603
Ph. No. 01822 - 662521, 662501 Fax No. : 01822-255506, 662526, Email: registrar@ptu.ac.in

भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग – **III** , खंड – **4** में प्रकाशनार्थ

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART III, SECTION 4

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2016

आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016
(2016 का 5)

संख्या :– **……………-…./2016-………** ……. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप–धारा (2) के उप–खंड (के) तथा धारा 29 की उप–धारा (2) तथा (4) के साथ पठित धारा 54 की उप–धारा (2) के उप–खंड (ओ) तथा उप–धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

(1) इन विनियमों को आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :–

(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 से है;

(ख) "आधार पत्र" का अभिप्राय किसी निवासी को आधार नंबर के संप्रेषित करने वाले दस्तावेज से है;

(ग) "आधार नंबर धारक" का अभिप्राय कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अंतर्गत आधार नंबर जारी किया गया है, से है;

(घ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय धारा 11 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;

(च) "अनुरोध करने वाली संस्था" का अभिप्राय किसी एजेंसी या व्यक्ति से है, जो कि अधिप्रमाणन के लिए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को किसी व्यक्ति विशेष का आधार नंबर तथा जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमैट्रिक सूचना प्रस्तुत करता है;

(2) इन विनियमों के उपयोग के लिए अन्य सभी शब्द या अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें अधिनियम अथवा नियम अथवा अन्य विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

अध्याय – 2

पहचान संबंधी सूचना की सहभाजिता पर प्रतिबंध

3. प्राधिकरण द्वारा पहचान संबंधी सूचना का सहभाजन :–

(1) अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा संग्रहित मुख्य बायोमैट्रिक सूचना को किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ सहभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अधिप्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधार नंबर धारक से सहमति प्राप्त करने के उपरांत इनके संबंध में अनुरोध करने वाली संस्था के अनुरोध पर अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा संग्रहित व्यक्ति विशेष सूचना की जनसांख्यिकीय सूचना तथा फोटोग्राफ को किसी अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में ई–केवाईसी संबंधी डाटा के अधिप्रमाणन संबंधी अनुरोध किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सहभाजित किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 28 के अनुरूप आधार नंबर धारक के अधिप्रमाणन अभिलेखों को सहभाजित करेगा।

(4) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 33 के अनुरूप, जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना तथा फोटोग्राफ तथा अधिप्रमाणन अभिलेखों को सहभाजित करेगा।

4. अनुरोध करने वाली संस्था के साथ सूचना का सहभाजन :–

(1) अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा आधार नंबर धारक के संबंध में अधिप्रमाणन के समय संग्रहित अथवा प्राप्त की गई मुख्य बायोमैट्रिक सूचना को आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा–विनिर्दिष्ट बफर अधिप्रमाणन के अलावा संचयित नहीं किया जाएगा और किसी भी कारण से से किसी व्यक्ति के साथ सांझा नहीं किया जाएगा।

(2) अनुरोध करने वाली संस्था के पास उपलब्ध पहचान संबंधी सूचना को :–

(क) अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा अधिप्रमाणन हेतु पहचान संबंधी सूचना को प्रस्तुत करने के समय, आधार नंबर धारक के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; और

(ख) आधार नंबर धारक की पूर्व सहमति के बिना आगे उद्घाटित/प्रकट नहीं किया जाएगा।

(3) अनुरोध करने वाली संस्था, आधार नंबर धारक के अधिप्रमाणन संबंधी लॉग की संबंधित सूचना को आधार

(अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 18 में यथाविनिर्दिष्ट आधार नंबर धारक के साथ उसके अनुरोध किए जाने या शिकायत निवारण हेतु एवं विवादों के समाधान हेतु एवं प्राधिकरण के साथ लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सहभाजित कर सकता है।

5. आधार नंबर के संबंध में अनुरोध करने वाली संस्था के अलावा अन्य एजेंसी या संस्था का उत्तरदायित्व :–

(1) कोई भी व्यक्ति विशेष, एजेंसी या संस्था, जो आधार नंबर या आधार नंबर अंतर्विष्ट किसी दस्तावेज का संग्रहण करती है, वहः–

(क) केवल विधि–सम्मत प्रयोजनों के लिए आधार नंबर का संग्रहण, भंडारण तथा उपयोग करेगी;

(ख) निम्नलिखित ब्यौरे के संबंध में आधार नंबर धारक को सूचित करेगी:–

(i) प्रयोजन, जिसके लिए सूचना का संग्रहण किया गया है;

(ii) क्या ऐसे प्रयोजनार्थ आधार नंबर या आधार का साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य है या ऐच्छिक है और यदि अनिवार्य है तो इसे अधिदेशित करने वाला विधिक उपबंध क्या है;

(iii) आधार नंबर अथवा आधार नंबर अंतर्विष्ट दस्तावेज को जमा करने का विकल्प, यदि कोई हो तो;

(ग) विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ आधार नंबर के संग्रहण, भंडारण उपयोग हेतु आधार नंबर धारक की सहमति प्राप्त करना;

(2) ऐसा व्यक्ति विशेष, एजेंसी या संस्था आधार नंबर धारक से सहमति प्राप्त करने के समय विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ आधार नंबर का उपयोग नहीं करेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति विशेष, एजेंसी या संस्था आधार नंबर को आधार नंबर धारक की सहमति के बिना किसी व्यक्ति के साथ सहभाजित नहीं करेगा।

6. आधार नंबर को सहभाजित करने, परिचालित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध :–

(1) किसी व्यक्ति विशेष के आधार नंबर को किसी व्यक्ति या संस्था या एजेंसी द्वारा प्रकाशित, प्रदर्शित अथवा सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति विशेष संस्था या एजेंसी, जिसके पास आधार नंबर धारकों के आधार नंबर हैं, वह आधार नंबर वाले किसी अभिलेख या डाटा बेस की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

(3) उप–विनियम (1) और (2) पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, अनुरोध करने वाली संस्था सहित कोई भी संस्था, जिसके पास किसी आधार नंबर धारक का आधार नंबर है, वह व्यक्ति विशेष के आधार नंबर वाले किसी भी डाटा बेस या अभिलेख को सार्वजनिक नहीं करेगा, जबतक कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, दोनों रूपों में उपयुक्त तरीके से आधार नंबर को हटा या मिटा न दिया गया हो।

(4) अनुरोध करने वाली संस्था सहित कोई भी संस्था अपने किसी भी व्यक्ति को अपने आधार नंबर को इंटरनेट के माध्यम से भेजने को तभी कहेगी जबकि वैसा भेजा जाना सुरक्षित हो तथा आधार नंबर को कूटबद्ध रूप से भेजा जाए, केवल उस स्थिति को छोड़कर, जहां इस प्रकार से आधार नंबर भेजा जाना, त्रुटि सुधार किए जाने या शिकायत का निपटान किए जाने के लिए अपेक्षित हो।

(5) अनुरोध करने वाली संस्था सहित कोई भी संस्था आधार नंबर या किसी दस्तावेज या डाटा बेस, जिसमें आधार नंबर हो, को आधार नंबर धारक की सहमति लेने के समय विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगी।

7. विनियमों का उल्लंघन किए जाने पर दायित्व निर्धारण :–

अधिनियम के तहत की जाने वाली किसी कार्रवाई पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, इन विनियमों के विनियम 3, 4, 5 और 6 का कोई भी उल्लंघन अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) का उल्लंघन माना जाएगा।

8. आधार नंबर धारक की शिकायतों का निवारण :–

आधार नंबर धारक की पहचान संबंधी सूचना को अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी पद्धति से सहभाजित किए

जाने या प्रकाशित किए जाने पर आधार नंबर धारक, आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 32 के अनुरूप प्रश्न पूछ सकता है तथा शिकायत कर सकता है।

अध्याय – 3

विविध

9. आधार नंबर को सहभाजित किए जाने के बारे में सूचना का प्रसार :–

प्राधिकरण, आधार नंबर के उपयोग तथा इसको सहभाजित किए जाने के दुष्परिणामों के बारे में आधार नंबर धारक को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य उपाय कर सकता है।

10. व्यावृत्ति :–

भारत सरकार के योजना आयोग के दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–प्रशासन–1 के माध्यम से स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना पूर्व जारी सभी कार्य–पद्धति, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक तथा नीतियां अथवा हस्ताक्षर किए गए सभी समझौता ज्ञापन, करार अथवा सविदाएं उस सीमा तक लागू रहेंगी, जबतक कि वे अधिनियम के उपबंधों तथा तत्संबंध के तहत तैयार किए गए अधिनियम अथवा विनियम के तहत असंगत सिद्ध न हो जाएं।

11. स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देशों को जारी करने की शक्तिः–

इन विनियमों के अनुप्रयोग तथा निर्वचन के संबंध में किसी समस्या का निराकरण करने अथवा किसी मामले में स्पष्टीकरण करने के लिए प्राधिकरण परिपत्र के रूप में स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

(फाइल न. 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई)

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, The 12th September, 2016

AADHAAR (SHARING OF INFORMATION) REGULATIONS, 2016
(No. 5 of 2016)

No. XXX-XX/2016-XXX .----- *In exercise of the powers conferred by sub-section (1), and sub-clause (o) of sub-section (2), of Section 54 read with sub-clause (k) of sub-section (2) of Section 23, and sub-sections (2) and (4) of Section 29, of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations, namely: -*

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. —

(1) These regulations may be called the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(b) "Aadhaar Letter" means a document for conveying the Aadhaar number to a resident;

(c) "Aadhaar number holder" means an individual who has been issued an Aadhaar number under the Act;

(d) "Authority" means the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11;

(e) "requesting entity" means an agency or person that submits the Aadhaar number, and demographic information or biometric information, of an individual to the Central Identities Data Repository for authentication.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the rules and other regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations, as the case may be.

CHAPTER II

RESTRICTIONS ON SHARING OF IDENTITY INFORMATION

3. Sharing of information by the Authority. —

(1) Core biometric information collected by the Authority under the Act shall not be shared with anyone for any reason whatsoever.

(2) The demographic information and photograph of an individual collected by the Authority under the Act may be shared by the Authority with a requesting entity in response to an authentication request for e-KYC data pertaining to such individual, upon the requesting entity obtaining consent from the

Aadhaar number holder for the authentication process, in accordance with the provisions of the Act and the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016.

(3) The Authority shall share authentication records of the Aadhaar number holder with him in accordance with regulation 28 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016.

(4) The Authority may share demographic information and photograph, and the authentication records of an Aadhaar number holder when required to do so in accordance with Section 33 of the Act.

4. Sharing of information by a requesting entity. —

(1) Core biometric information collected or captured by a requesting entity from the Aadhaar number holder at the time of authentication shall not be stored except for buffered authentication as specified in the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016, and shall not be shared with anyone for any reason whatsoever.

(2) The identity information available with a requesting entity:

(a) shall not be used by the requesting entity for any purpose other than that specified to the Aadhaar number holder at the time of submitting identity information for authentication; and

(b) shall not be disclosed further without the prior consent of the Aadhaar number holder.

(3) A requesting entity may share the authentication logs of an Aadhaar number holder with the concerned Aadhaar number holder upon his request or for grievance redressal and resolution of disputes or with the Authority for audit purposes, as specified in regulation 18 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016.

5. Responsibility of any agency or entity other than requesting entity with respect to Aadhaar number. —

(1) Any individual, agency or entity which collects Aadhaar number or any document containing the Aadhaar number, shall:

(a) collect, store and use the Aadhaar number for a lawful purpose;

(b) inform the Aadhaar number holder the following details:—

i. the purpose for which the information is collected;

ii. whether submission of Aadhaar number or proof of Aadhaar for such purpose is mandatory or voluntary, and if mandatory, the legal provision mandating it;

iii. alternatives to submission of Aadhaar number or the document containing Aadhaar number, if any;

(c) obtain consent of the Aadhaar number holder to the collection, storage and use of his Aadhaar number for the specified purposes.

(2) Such individual, agency or entity shall not use the Aadhaar number for any purpose other than those specified to the Aadhaar number holder at the time of obtaining his consent.

(3) Such individual, agency or entity shall not share the Aadhaar number with any person without the consent of the Aadhaar number holder.

6. Restrictions on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number. —

(1) The Aadhaar number of an individual shall not be published, displayed or posted publicly by any person or entity or agency.

(2) Any individual, entity or agency, which is in possession of Aadhaar number(s) of Aadhaar number holders, shall ensure security and confidentiality of the Aadhaar numbers and of any record or database containing the Aadhaar numbers.

(3) Without prejudice to sub-regulations (1) and (2), no entity, including a requesting entity, which is in possession of the Aadhaar number of an Aadhaar number holder, shall make public any database or record containing the Aadhaar numbers of individuals, unless the Aadhaar numbers have been redacted or blacked out through appropriate means, both in print and electronic form.

(4) No entity, including a requesting entity, shall require an individual to transmit his Aadhaar number over the Internet unless such transmission is secure and the Aadhaar number is transmitted in encrypted form except where transmission is required for correction of errors or redressal of grievances.

(5) No entity, including a requesting entity, shall retain Aadhaar numbers or any document or database containing Aadhaar numbers for longer than is necessary for the purpose specified to the Aadhaar number holder at the time of obtaining consent.

7. Liability for contravention of the regulations. —

Without prejudice to any action that may be taken under the Act, any contravention of regulations 3, 4, 5 and 6 of these regulations shall constitute a violation of sub-section (2) of Section 29 of the Act.

8. Redressal of grievances of Aadhaar number holders. —

In the event the identity information of an Aadhaar number holder has been shared or published in a manner contrary to the provisions of the Act or regulations, the Aadhaar number holder may raise queries and grievances in accordance with the regulation 32 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

9. Information dissemination about sharing of Aadhaar numbers. —

The Authority may take necessary measures to educate Aadhaar number holders about the uses of Aadhaar numbers and implications associated with its sharing.

10. Savings. —

All procedures, orders, processes, standards and policies issued and MOUs, agreements or contracts entered by the Unique Identification Authority of India, established *vide* notification of the Government of India in the Planning Commission number A-43011/02/2009-Admin. I, dated the 28th January, 2009 or any officer of such authority, prior to the establishment of the Authority under the Act shall continue to be in force to the extent that they are not inconsistent with the provisions of the Act and regulations framed thereunder.

11. Power to issue clarifications and guidelines. —

In order to remove any difficulties or clarify any matter pertaining to application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

[File No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI]

Dr. Ajay Bhushan Pandey, Chief Executive Officer